Acm आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

गालीदेवी बनाम उंखा

नाम न्यायालय

केस संख्या 95/08 S/91

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	9/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप। उभय पक्ष अ.तो. पेशी पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 10/6/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	10/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/6/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	25/6/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उप०। तनकी संख्या 1 वादीया के विरुद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या-3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादीया खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 95 / 2008 वाद प्रस्तुति दिनांक –15.02.2006

श्रीमती माली देवी पत्नी झांझूराम पुत्री स्व. श्री लखमा जाति अहीर निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........वादीनी

बनाम

1. झुंथा पुत्र स्व. श्री धन्ना तथाकथित पुत्र लखमा जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. काना पुत्र स्व. श्री धन्ना जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती दाखा देवी उर्फ रामा पत्नी कान्हाराम पूर्व पत्नी स्व. श्री लखमा जाति अहीर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)

3/1. लादूराम पुत्र स्व. कानाराम
3/2 सीताराम पुत्र स्व. कानाराम
3/3 हरसहाय पुत्र स्व. कानाराम
जाति अहीर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. उपपंजीयक तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री राकेश स्वामी – अधिवक्ता वादीया की ओर से
(2) श्री हेमन्त सोगानी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से

दिनांक 25.06.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादिनी के स्वर्गीय पिता श्री लखमा पुत्र [illegible] की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम खन्नीपुरा व यादव खेडा में स्थित है। वादि[illegible] का देहान्त हो चुका है एवं वादिनी ही स्वगीय श्री लखमा [illegible] श्री [illegible] की अकेली जाईन्दा पुत्री व वारिस है व स्वयं के पिता लख[illegible] आराजी कृषि भूमि की मालिक व स्वामी है। उक्त आराजी खसरा नंबर 124 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर व खसरा नंबर 125 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर

0.06 हैक्टेयर ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। तथा खसरा नंबर 157 रकबा 2.25 हैक्टेयर व खसरा नंबर 151 रकबा 0.02, खसरा नंबर 152 रकवा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 153/276 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.89 हैक्टेयर ग्राम यादव खेडा तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। वादिनी के पिता स्व० श्री लखमा के प्रतिवादी न० 3 से 2 सन्ताने हुई जिसमे से भिन वादिनी व वादिनी की एक बहन मनफूली देवी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है व स्व० मनफूली देवी ने अपने पीछे कोई वारिस भी नहीं छोडा है व प्रतिवादी नं० 3 ने वादिनी के पिता श्री लखमा' की मृत्यु के बाद एक शख्स कान्हाराम जी से नाता कर लिया व श्री कान्हाराम जी से प्रतिवादी नं० 3 वे सन्ताने है। इस प्रकार से वादिनी अपने पिता स्व० लक्षमा की आराजी दूषि भूमि दर्ज मुकदमा मद न० 1 की अकेली मालिक व स्वागी व पिता स्व० श्री लसमा की मृत्यु के बाद वाविज काश्त चली जा रही है। वर्ष 2005 के मई महिने मै प्रतिवादी नं० 1 व 2 वादिनी के पास वादिनी के ससुराल गये व मिन्नते की कि प्रतिवादी नं 1 व 2 के पास काश्त के लिये कृषि भूमि कम है व परिवार का खर्च अधिक है। इसलिये वादिनी इस वर्ष स्वयं की आराजी वृषि भूमि दर्ज मकदमा मद नं० 1 वादपत्र प्रत्तिवादी नं० 1 व 2 को काश्त के लिए दे देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कृषि भूमि में पैदा होने वाले अनाज का 1/3 हिस्सा वादिनी को दे देंगे। इस पर वादिनी ने स्वयं की आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को काश्त हेतु जोतने के लिए 1 वर्ष बांटे पर बता दी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादिनी को बाजरे व गवार की फसल का वादिनी का तयशुदा 1/3 हिस्सा भी अदा कर दिया व गेंहू, सरसों की फसल का वादिनी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से प्राप्त करने की अधिकारी है।

हाल ही चन्दराज पूर्व माह जनवरी के दूसरे सप्ताह में वादिनी के पीहर से एक शख्स मुरली वादिनी के ससुराल वादिनी के पास आया व वादिनी को बताया कि प्रतिवादी न० 1 व 2 वादिनी की आराजी कृषि भूमि दर्ज मकदमा मद नं० 1 विक्रय करने पर उत्तारू है व दलालों को मौके पर लाकर जमीन कृषि भूमि दिखा रहे है व प्रतिवादी 1 व 2 वे इस कृत्य मे प्रतिवादी नं० ३ भी शामिल है। इस पर वादनी स्वयं के पीहर वाके खन्नीपुरा गई तो प्रतिवादी नं० [illegible] देखकर वादिनी को आश्चर्य हुआ जब वादिनी ने प्रतिवादी न० 1 क[illegible] के पीहर आने का कारण बताया तो पहले तो प्रतिवादी नं० 1 [illegible] करते रहे लेकिन वादिनी द्वारा दबाव डालने पर प्रतिवादी 1 व 2 ने कहा कि वादिनी के पिता की नाराजी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में तो हमारे नाम से है व उक्त कृषि भूमि दर्ज में मिली भगत कर वादिनी की आराजी कृषि भूमि दर्ज मुकदमा मद न० 1 स्व० लखमा पिता वादिनी का फर्जी पुत्र बनकर स्वयं के नाम करवाली व प्रतिवादी नं० 2 ने भी प्रतिवादी न 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

के साथ मिलिगगत कर वादिनी की उक्त आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी नवर 1 व 2 द्वारा की गई उक्त फर्जी कार्यवाही का ज्ञान वादिनी को कभी नहीं होने दिया के रेवेन्यू रिकार्ड में हेराफेरी करवाई है।

वादिनी की उक्त आराजी कृषि भूमि की तस्दीक शुदा नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जो दिनांक 17.1.2006 वादिनी को तस्दीक शुदा नक्ल प्राप्त है। प्रतिवादी 1 व 2 ने राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि दर्ज मुकमदा मद न० 1 वादिनी के नाम से करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है । इसलिये वादिनी के पास मौजूदा वाद पेश करने के अलावा अन्य कोर विकल्प शेष नहीं है। वादिनी प्रतिवादी नं 1 व 2 की गई कूटरचना युक्त कार्यवाही के लिए अलग से फौजदारी कार्यवाही करने के लिए स्वयं के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये मौजूदा वाद बिना देरी पेश कर रही है। वादिनी वाद पत्र के मद नंबर 1 में दर्ज आराजी कृषि भूमि की अकेली मालिक व काबिज है। प्रतिवादी नंबर 1 ने वादिनी के स्व. पिता लखमा का फर्जी पुत्र बनकर स्वयं के नाम से उक्त आराजी कृषि भूमि को स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली है जो वादिनी के अधिकारी तक क्लैदम व बेअसर है। वादिनी न्यायालय श्रीमान से इस की घोषणा करवाने की अधिकारी है कि आराजी कृषि भूमि दर्ज मुन्दमा नंबर 1 की मालिक वादिनी है व उक्त आराजी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादिनी स्वयं के नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है व चूंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी बाबत प्रतिवादी न० 1 व 2 मे फजी ढंग से स्वयं का नाम दर्ज करवा लेने की वजह से प्रतिवादी नं 1 व 2 उक्त आराजी कृषि भूमि का स्वयं को मालिक बताकर अन्य किसी को विक्रय कर कब्जा हस्तान्तरण करने की फ़िराक में है जो वादिनी के हक हकूको पर मुत्वातिर थ्रीट व इन्जुरी है। इसलिए वादिनी मुश्तहक है कि प्रतिवादी नं० 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाये कि वादिनी की जायदाद आराजी कृषि भूमि दर्ज मुकदमा नंबर के किसी भी अश को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से अन्तरण नही करें ना ही उक्त आराजी पर कोई भार आमद करें। प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ हालांकि वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा है लेकिन चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के षडयंत्र में शामिल है व स्वयं को स्व. लखमा पिता वादिनी की वारिस बताने लगी है इसलिए फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी न० 5 लैण्ड होल्डर है इसलिए उस्को पक्षकार बनाया गया है उसके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गई । विनाय दावा दिनाक 10.1.2005 को जब वादिनी को प्रतिवादी नं० 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी को विक्रय करने के इरादों की जानकारी होने पर दिनाक 11.1.2005 को जब वादिनी को राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर व उसके बाद प्रतिवादी न 1 व 2 द्वारा विवादित 2 व वादिनी को जायदाद से बेदखल करने जायदाद को विक्रय करने की धमकी देने व उसके बाद हर रोज पैदा होकर दावा करना लाजिम आया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वादौत्तर पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है तथा उससे इनकार है। वादिनी श्रीमती मालीदेवी का पिता न तो लखमाराम पुत्र रामदेव निवासी ग्राम खनीपुरा ही था और ना ही लखमाराम के कोई पुत्र ही नहीं था। स्व. श्री लखमाराम की शादी श्रीमती दाखां देवी से हुई थी लेकिन श्री लखमाराम का स्वर्गवास 1961 में हो जाने पर कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी श्रीमती दाखांदेवी ने कानाराम यादव, जाति अहीर निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा से नाता (पुनर्विवाह) कर लिया था और वादिनी श्रीमती मालीदेवी नाते के बाद कानाराम से दाखांदेवी के पैदा हुई थी। भूमि विवादग्रस्त हाल खसरा नंबर 124 रकबा 0.23 हैक्टे0, 125 रकबा 0.06 हैक्टे० व खसरा नम्बर 126 रकबा 0.47 हैक्टे० ग्राम खनीपुरा का खसरा नम्बर 151 रकबा 0.02 हैक्टे0, 152 रकबा 0.80 हैक्टे0, 153/276 रकबा 0.07 हैक्टे0 व 157 रकबा 2.25 हैक्टे0 ग्राम यादवखेड़ा में स्थित है पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि विवादग्रस्त में वादिया के अब किसी भी प्रकार के कोई अधिकार होने का तथ्य गलत है तथा उससे इनकार है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में जो सजरा अंकित किया गया है गलत तथा उससे इनकार है। सजरा में सेवाराम के तीन पुत्र बनाये गये हैं जिसमें एक पुत्र मंगला का सजरा अंकित किया गया है उससे इनकार है। सेवाराम के वरिष्ठ पुत्र का नाम "मंगला" ना होकर भगताराम था, भगताराम के दो पुत्र रामदेव व रामधन हुए जिसमें से रामधन अविवाहित ही फोत हो गया तथा रामदेव के एक पुत्र लिखमाराम पैदा हुआ परन्तु लखमा की शादी श्रीमती दाखांदेवी से हुई। लेकिन शादी के कुछ दिन पश्चात् ही लखमा का स्वर्गवास हो जाने पर लखमा के कोई सन्तान पैदा ही नहीं हुई जो सरासर वाद पत्र में बताया गया है, गलत है। लखमा के स्वर्गवास के कुछ दिनों के बाद ही श्रीमती दाखांदेवी ने ग्राम शिवलिंगपुरा, तहसील फुलेरा निवासी श्री कानाराम से पुनर्विवाह कर लिया और वहाँ पर जाकर श्रीमती दाखांदेवी ने अपना नाम श्रीमती दाखांदेवी के साथ रामादेवी भी कर लिया। श्रीमती दाखांदेवी के श्री कानाराम से पुनर्विवाह कर लेने के पश्चात् ही [illegible] हुई है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है तथा उससे इनकार है। स्व. श्री लखमा के कोई जाइन्दा पुत्र व पुत्रियों पैदा ही नहीं हुई थी। वादिनी स्व. श्री लखमा की जाइन्दा पुत्री नहीं है और ना ही मृतका मनफूलदेवी ही पुत्री थी। प्रतिवादी संख्या 3 की जाइन्दा पुत्री वादिनी है वह उसके द्वारा श्री कानाराम से पुनर्विवाह के फलस्वरूप पैदा हुई है बल्कि सही तथ्य तो

सहायक कलक्टर
आमेर न., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 95 / 2008

यह है कि लखमाराम अहीर तपेदिक की बीमारी से कई वर्षों से पीड़ित था और उसकी बीमारी में प्रतिवादी संख्या 1 ने काफी रूपये खर्च किये इसलिये उसके जीवनकाल में ही उक्त भूमि को लखमा ने प्रतिवादी संख्या 1 को दी और तब ही से प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करता चला आ रहा है। लखमा के कोई जाइन्दा सन्तान नहीं हुई थी और वह लाऔलाद फौत हो गया इसलिये उसका उत्तराधिकारी उसके चाचा धन्नाराम का लड़का प्रतिवादी संख्या 1 डूंथा हुआ और उत्तराधिकारी के नाते ही उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 5 दिनांक 4–7–1963 को तस्दीक किया गया। आज दिनांक तक भूमि विवादग्रस्त पर कभी वादिया का किसी प्रकार का कोई अधिकार व दखल नहीं रहा, वादिया का भूमि विवादग्रस्त में कोई अधिकार नहीं है। विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विधिवत तस्दीक किया गया जिसे चुनौती देन का वादिया को अब किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि वादिया के भूमि विवादग्रस्त में कोई अधिकार कभी थे भी तो वे अधिकार समाप्त हो गये । विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। वादिया ने जो तथ्य अंकित किये है जो सभी मनगढ़न्त एवं बनावटी तथ्य है। वादिया द्वारा वर्ष 2005 मई में भूमि विवादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 को काश्त के लिए बताये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बाजरे व गुवार का 1/3 हिस्सा वादिया को अदा किये जाने के तथ्य पूर्णतः बनावटी एवं गलत हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का किसी प्रकार का कोई अधिकार व कब्जा–काश्त नहीं है और ना ही कभी वादिया ने भूमि विवादग्रस्त का किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग किया। राजस्व भू–अभिलेखों में दिनांक 4–7–63 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है और अपने अधिकारों के आधार पर ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भूमि विवादग्रस्त पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित वाकयात गलत है तथा उनसे इनकार है। वादिया का यह कथन कि वादिया के ससुराल में मुरली ने आकर कहा कि आपकी भूमि विवादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बेचान करने के लिए दलालों को दिखा रहे हैं, पूर्णतः गलत है। क्योंकि वादिया का पीहर ग्राम खन्नीपुरा है ही नहीं वादिया का पीहर तो ग्राम शिवसिंहपुरा, तहसील फुलेरा निवासी कानाराम के नाते चली गयी थी इसलिये लखमा का उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 बना और उसके उत्तराधिकारी के नाते ही विवादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक हुआ जो कानूनी दृष्टि से सही है और नियमानुसार है। स्व. श्री लखमा का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही अंकित तस्दीक किये जाने की वादिया को वर्ष 1963 से ही पूर्ण जानकारी है इसलिये वादिया द्वारा दिनांक 17–1–2006 के पश्चात् तहसील

सहायक कलक्टर
आनेर न. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

आगोर में जाकर राजस्व भू–अभिलेखों की जांच–पड़ताल करने तथा उसके पश्चात राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की जानकारी होने का तथ्य गलत व मनगढ़न्त अंकित किया गया है, वादिया को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। जब वादिया के भूमि विवादग्रस्त में कोई हिस्सा व दखल नहीं है और उसे अपने तथाकथित हिस्से की भूमि की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । वादिया के भूमि विवादग्ररत में किसी प्रकार के कोई अधिकार व दखल नहीं है और वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। प्रतिवादी संख्या 3 वादिया के ही साथ है और दोनों ने आपस में साजिश कर रखी है। भूमि विवादग्रस्त में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 14 में वादिया द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है ऐंसा कोई अनुतोष प्राप्त करने की वादिया अधिकारी नहीं है और वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादिनी नं 3 की ओर से जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 मे दर्ज इबारत मे वादिनी का स्वर्गीय श्री लखमा की पुत्री होना एवं भूमि वाके ग्राम खनीपूरा यादव खेडा में स्थित होना स्वीकार है। लेकिन मिन प्रतिव दिनी संका 3 इस मह मे दर्ज जायदाद मे स्वगीय श्री लखमा की पत्नि गैने की वजह से स्वयं के हिस्सा जायदाद दर्ज मह नं० 1 वादपत्र की मालिक है व प्राप्त करने की अधिकारी है। वादपत्र की चरण संस्था 2 मे दर्ज हैबारत में शजर ज खानदान जिस प्रकार से दर्ज किया है सही है। मेरे पूर्व पति स्व० लखमा की मृत्यु के समय मिन प्रतिवादी नं० 3 गर्भवती थी मेरै स्व० पति लतमा की मृत्यु के बाद व पूर्वविवाह करने के बाद प्रतिवादी नं 3 ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सीताराम रखा जिसका मेरे मौजूदा पति ने पिता का नाम दे दिया । जो मौजूदा समय मे मेरे पति श्री कानाराम का पुत्र जाना जाता है व पिता का नाम भी श्री कान्हाराम ही प्रयोग में कैडर लेता है लेकिन वास्तव मे मेरा पुत्र सीताराम मेरे स्व० पति लाखमा से पैदा हुआ है। वादपत्र की चरण संख्या 3 मे दर्ज [illegible] जिस प्रकार तहरीर की गई है स्वीकार है। लेकिन इस चरण मे वादिनी [illegible] कि मिन प्रतिवादिनी संख्या 3 प्रतिवादी संस्था 1 व 2 के साथ मिली हुई है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की साजिश में शामिल हो गलत बयानी की है। मिन प्रतिवादिनी संख्या 3 तो प्रतिवादी संस्था 1 व 2 वे पास वादपत्र के मह न० 1 में दर्ज अपने हिस्से की जायदाद दी फसल लेनेके लिये गई थी व मिन प्रतिवादी संस्था 1 व 2 को इस बाबत आगाह किया था कि मिन प्रतिवादिनी संस्था 3 का भी विवादास्पद जायदाद मे 1/2 हिस्सा है। इसलिये वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

जायदाद की बटैती का पूर्ण हिस्सा वादिनी को न दिया जाकर मिन प्रतिवादिनी संख्या 3 को आधा हिस्सा देवें। मिन प्रतिवादिनी संख्या 3 को उसी रोज इस बात का ज्ञान हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साजिश कर वादपत्र के मदनंबर 1 मे दर्ज जायदाद षडयंत्र रचकर व राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली जो कतई गलत है। वादपत्र की चरण संख्या 6 मे दर्ज इंबारत मे मिन प्रतिवादिनी संख्या 3 को यह जानकारी नहीं है कि वादिनी का लडका कब रेवेन्यू रिकार्ड देखने गया बाक्या इबारत मद नंबर 6 वादपत्र जिस प्रकार से दर्षों की है सही है। मिन प्रतिवादिनी संस्था 3 वाद मे वादिनी बनने की अधिकारी है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का वाद मिन प्रतिवादिनी संस्था 3 के विरुद्ध खारिज फरमाया जावे तथा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का वादिनी की ओर से जवाब–उल–जवाब पेश कर अंकित किया कि जवाबदावा की चरण संख्या 1 में जो ईबारत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस प्रकार दर्ज करना कि वादिनी स्व. लखमा की पुत्री नहीं हो कतई गलत बयानी है। यह भी पूर्णरूप से गलत बयानी है कि वादिनी श्री कानाराम की पुत्री हो। सही बात यह है कि वादिनी स्व. लखमा की पुत्री है वादिनी के स्व. पिता श्री लखमा ने ही वादिनी की शादी व परवरिश की थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावे में वादिनी के खिलाफ गलत बयानी कर वादिनी को समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया है जिसके लिये वादिनी द्वारा अलहदा से कानूनी कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी। चरण 2 में वादिनी के स्व. पिता श्री लखमा की शादी श्रीमति दाखादेवी से होना स्वीकार है। लेकिन इस चरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा यह दर्ज करना कि वादिनी के पिता स्व. लखमा के कोई संतान नहीं हुई हो सरासर गलत बयानी किया है। सही बात यह कि श्रीमति दांखादेवी माता वादिनी व पिता स्व. श्री लखमा से वादिनी की एक अन्य बहिन जिसका इन्तकाल हो गया पैदा हुई है व वादिनी के स्व. पिता लखमा की मृत्यु के समय वादिनी की माता श्रीमति दांखादेवी गर्भवती थी जो वादिनी के पिता लखमा के देहान्त के बाद वादिनी की माता श्रीमति दांखा देवी, श्री कानाराम से नाता करने के बाद एक पुत्र को जम्न दिया जिसका नाम ... रखा गया। इस चरण में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का यह दर्ज करना कि वादिनी स्व. लखमा की जायन्दा पुत्री ना हो व स्व. लखमा के अन्य पुत्री ... पैदा हुई हो व यह दर्ज करना कि स्व. लखमा के जायदा कोई पुत्र या पुत्रिया पैदा नहीं हुई हो कतई गलत बयानी है। यह भी कतई गलत बयानी दर्ज की है कि प्रतिवादी नं. 1 ने बीमारी हेतु स्व. लखमा पर कोई रूपये खर्च किये हो। क्योंकि स्व. लखमा पिता वादिनी का अपना परिवार था व स्व. लखमा पिता वादिनी के पास रूपयों की सबील थी इसलिये भी

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि., जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 95/2008
बउनवानी – गाली देवी बनाम झूंथा वगै0
निर्णय दिनांक :– 25.06.2025

किसी प्रकार का प्रतिवादी नं. 1 द्वारा रूपये खर्च करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। स्व. लखमा जब तक जिन्दा रहा तब तक स्वयं की कृषि भूमि में काश्त स्वयं करता था व वादिनी के पिता सव. लखमा की मृत्यु के बाद वादिनी वादपत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज आराजी कृषि भूमि की काश्त स्वयं व जरिये बटायती करती रही है। इस मद में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दिनांक 04.07.1963 को नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना दर्ज किया है वह प्रतिवादी नं. 1 ने फर्जी पुत्र पिता वादिनी स्व. लिखमा बनकर खुलवाया है। जिसकी जानकारी वादिनी को दावा दायर करने के कुछ दिन पूर्व ही हुई। उक्त नामान्तरकरण को वादिनी ने बिना देरी के जरिये मौजूदा वाद चैलेन्ज कर दिया व वादिनी नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांकित 04.07.1963 जो विधि 1 विरूद्ध दर्ज हुआ है को सैट असाईड कराकर जरिये न्यायालय स्वये के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक करवाने की कानूनन अधि कारी है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने यदि राजस्व रिकार्ड में फर्जी कार्यवाही कर स्वयं का नाम अंकित भी करवा लिया तो उस सूरत में भी वादिनी के वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज जायदाद बाबत वादिनी के हक हकूकों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव कानूनन नहीं पड़ता है। वादिनी का पीहर वाके ग्राम खन्नीपुरा में है। प्रतिवादी नं.। के स्वयं के कथनानुसार जब वादिनी का पिता लखमा प्रतिवादी नं. 1 का चचेरा भाई लगता था तो प्रतिवादी नं. 1 ने वादिनी के पिता लखमा को अपना पिता बताकर राजस्व अधिकारियों को धोखा दे कर वादनी के पिता व वादनी ने फर्जी कार्यवाही की है जिसके लिये अदालत श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ कार्यवाही तहत धारा 340 जा.दी. अमल में लाई जावे। शेष ईबारत मद नं. 6 जवाब दावा जिस प्रकार तहरीर की गई है गलत है एवं अस्वीकार है। वादिनी वादपत्र के मद नं. 6 को पुनः अलर्ट करती है। जवाब दावा की चरण संख्या 7 व 8 में दर्ज ईबारत जिस प्रकार से दर्ज की है गलत है एवं अस्वीकार है। जवाब दावे में दर्ज अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 15 से 23 का जवाब उल जवाब में कथन किया कि जवाबदावा के अतिरिक्त कथन में दर्ज मद नं. 15 में जो ईबारत में जायदाद के खसरा नं. बताये गये है वह सही है लेकिन उक्त मद में यह दर्ज करना कि इस मद में दर्ज जायदाद प्रतिवादी नं. 1 व 2 की मालिकाना हक एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि हो कतई गलत बयानी है। सही बात [illegible] कृषि भूमि दर्ज मद नं. 1 वादपत्र की अकेली मालिक है। जवाबदावा के [illegible] दर्ज मद नं. 16 में दर्ज ईबारत जिस प्रकार दर्ज की गई है [illegible] वादिनी द्वारा सही पेश की गई है। इस चरण में प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा [illegible] दर्ज करना कि वादिनी के पिता लखमा निसंतान फौत हुआ हो कतई गलत दर्ज किया है व यह भी कतई गलत दर्ज किया है कि वादीन श्रीमती दांखादेवी के श्री कानाराम से पुर्नविवाह करने के बाद पैदा हुई हो या मनफूली देवी बहिन वादिनी कानाराम की पुत्री हो कतई गलत बयानी है।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी एवं मनफूली देवी बहिन वादिनी स्व. लखमा ने पैदा किया जिनमें से वादिनी की बहिन श्रीमती मनफूली देवी लाऔलाद फौत हो गई व वादिनी अकेली स्व. लखमा की वारिस है। बकिया ईबारत अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 16 जवाब दावा जिस प्रकार से तहरीर की गई है गलत होने के कारण अस्वीकार है। जवाबदावा के अतिरिक्त कथन में दर्ज मद नं. 17 में दर्ज ईबारत जिस प्रकार से दर्ज की गई है गलत है एवं अस्वीकार है। इस चरण में यह दर्ज करना कि वादिनी के पिता लखमा तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हो तथा प्रतिवादी नं. 1 स्व. लखमा के ईलाज में कोई रूपया खर्च किया हो। इस चरण में यह कतई गलत बयानी है कि वादिनी के पिता लखमा नं दिनांक 30.03. 1960 को 1.50 रूपये के स्टाम्प पर स्वयं की आराजी कृषि भूमि दर्ज वादपत्र की चरण संख्या 1 विक्रय की हो या कोई लिखावट की हो कतई गलत बयानी है। इस प्रकार की यदि कोई कार्यवाही प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा की गई है तो फर्जी की है। जिसके लिये वादिनी प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लावेगी। तथाकथित फर्जी विक्रयपत्र दिनांक 30.03. 1960 जो प्रतिवादी नं. 1 ने तहरीर होना जाहिर किया है जो किसी प्रकार से भी अस्तित्व में होता तो प्रतिवादी नं. 1 स्व. लखमा की जायदाद दर्ज वादपत्र की चरण संख्या 1 को स्वयं के नाम फर्जी पुत्र होना जारि कर क्यों नामान्तरकरण खुलवाया। यदि तथाकथित विक्रयपत्र अस्तित्व में होता तो प्रतिवादी नं. 1 विक्रयपत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण खुलवाता इससे स्पष्ट है कि तथाकथित लिखावट फर्जी तैयार की गई है। वादिनी के पिता लखमा एवं प्रतिवादी नं. 1 के आपस में संबंध ठीक नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती दांखा देवी व सीताराम ने प्रतिवादी नं. 1 से मिलीभगत कर कोई वाद उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पेश किया हो व उक्त वाद में कोई जवाब दावा पेश हुआ या न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई हो या किसी प्रकार का राजीनामा उक्त वादपत्र के पक्षकारान के मध्य हुआ हो, जिसकी जानकारी मुझ वादिनी को प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश करने से पूर्व कभी नहीं रहीं।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वादनी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात की मालिक एवं स्वामी – काश्तकार एवं मालिक घोषित कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है कि विवादित भूमि को किसी अन्य को अन्तरण नहीं करें ना ही वादिनी के उपयोग उपभोग में बाधा पारित करें।"

—वादिनी

2. आया वादिया लकमा पुत्र रामदेव के जायंदा पुत्री नहीं है वादिया की माता दाखा देवी ने लकमा के वर्ष 1961 में स्वर्गवास होने के पश्चात कानाराम से पुर्नविवाह किया।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

वादिया दाखा देवी एवं कानाराम की आयंदा पुत्री है। लकमा राम के कोई जायंदा पुत्र एवं पुत्री पैदा नहीं हुई।

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत का नामान्तकरण जो तस्दीक हुआ है वह कानूनी सही है। वादिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। ......प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ——

4. दादरसी ...प्रतिवादी संख्या 1 व 2

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 श्रीमती माली देवी पत्नी श्री झांझू राम पुत्री स्व. श्री लखमा जाति अहीर, निवासी ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

2. PW2 हनुमान पुत्र सोनूराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

3. PW3 प्रभुदयाल यादव पुत्र सोणाराम यादव, जाति यादव निवासी ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामान्तकरण संख्या 5 प्रदर्श–1,जमाबंदी खाता संख्या पुराना 11 नया 19 2061 से 2064 प्रतिलिपि– प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2059–2062 प्रदर्श– 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –4,नकल खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श– 5, आधार कार्ड प्रदर्श– 6, वोटर पहचान पत्र प्रदर्श– 7, राशन कार्ड दस्तावेजात प्रदर्श– 8 वादिनी ने प्रदर्शित करवाया।

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1 DW1 झूंथा पुत्र स्व. श्री धन्ना, जाति अहीर, निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

2 DW2 गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री लादूराम यादव जाति अहीर, निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

3 DW3 तेजपाल पुत्र स्व. श्री श्याम... जाति अहीर, निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

...विद्वान अभिभाषकगण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। तनकी संख्या 2 का भार सहवहन से वादिनी पर अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 पढा गया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

1\. आया वादनी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात की मालिक एवं स्वामी – काश्तकार एवं मालिक घोषित कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है कि वे विवादित भूमि को किसी अन्य को अन्तरण नहीं करें ना ही वादिनी के उपयोग उपभोग में बाधा पारित करें।"

–वादिनी

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीया पर है, वादीनी ने जाहिर किया है कि वादिनी के पिता स्व० श्री लखमा के प्रतिवादी न० 3 से 2 सन्ताने हुई जिसमे से मिन वादिनी व वादिनी की एक बहन मनफूली देवी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है व स्व० मनफूली देवी ने अपने पीछे कोई वारिस भी नहीं छोडा है व प्रतिवादी नं० 3 ने वादिनी के पिता श्री लखमा' की मृत्यु के बाद एक शख्स कान्हाराम जी से नाता कर लिया व श्री कान्हाराम जी से प्रतिवादी नं० 3 वे सन्ताने है। इस प्रकार से वादिनी अपने पिता स्व० लक्षमा की आराजी कृषि भूमि वादपत्र के मद संख्या 1 की अकेली मालिक है।

वादीनी ने तनकी संख्या 1 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामान्तकरण संख्या 5 प्रदर्श–1,जमाबंदी खाता संख्या पुराना 11 नया 19 2061 से 2064 प्रतिलिपि– प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2059–2062 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –4,नकल खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श– 5, आधार कार्ड प्रदर्श– 6, वोटर पहचान पत्र प्रदर्श– 7, राशन कार्ड दस्तावेजात प्रदर्श– 8 वादिनी ने प्रदर्शित करवाया तथा मौखिक साक्ष्य हेतू श्रीमती माली देवी (PW1), हनुमान (PW2), प्रभुदयाल यादव (PW3) परीक्षित करवाये।

वादिनी ने अपना पिता स्व० लखमा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है वादीनी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड (प्रदर्श–6), पहचान पत्र (प्रदर्श–7), परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–8) में कही भी पिता का नाम अंकित नहीं है। तथा प्रदर्श 1 विरासत का नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 04.07.1963 के कॉलम नम्बर 16 में अंकित किया है कि *"श्रीमान जी से निवेदन है कि लिखमा फोत हो चुका है अतः इसके वारिस झूथा के नाम नामान्तकरण भर कर सेवामें वास्ते मंजूरी पेश है उक्त अनुसार लिखमा पुत्र रामदेव अहीर फोत हो चुका है उसक उत्तराधिकारी झूथा है वही उस जमीन पर काबिज है व काश्त करता है अतः [illegible] स्वीकार किया गया।"* उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा [illegible] लिखमा का विधिक वारिस मानकर खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया है यहां यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 04.07.1963 [illegible] तस्दीक किया गया था ऐसा नहीं हो सकता है कि वाद दायरी से लगभग 43 सालो तक उक्त नामान्तकरण की जानकारी वादीया को नही रही हो। वादिया द्वारा उक्त नामान्तकरण को किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

न्यायालय में चूनोती भी नही दी है। जोकि सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा। यह सिद्धांत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

जहां तक वादीया द्वारा प्रस्तुत कथन कि लिखमा का उत्तराधिकारी वादीया थी, का प्रश्न है। प्रथमतः तो उक्त कथन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण होता है, से अप्रासंगिक है। उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी का पुत्र अथवा पुत्री है या नहीं, यह तय करने के लिए सिविल कोर्ट (Civil Court) में मुकदमा दायर किया जाता है। इस तरह के मामलों को "उत्तराधिकार (Succession) या संपत्ति विवाद" (Property Dispute) के रूप में माना जाता है, और अदालत सबूतों की जांच करके यह निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का कानूनी वारिस (Successor) है या नहीं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादीया को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचन से वादीया तनकी 01 को साबित करने में असफल रही हैं। अतः तनकी संख्या 1 वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. आया वादिया लकमा पुत्र रामदेव के जायंदा पुत्री नहीं है वादिया की माता दाखा देवी ने लकमा के वर्ष 1961 में स्वर्गवास होने के पश्चात कानाराम से पुर्नविवाह किया। वादिया दाखा देवी एवं कानाराम की जायंदा पुत्री है। लकमा राम के कोई जायंदा पुत्र एवं पुत्री पैदा नहीं हुई।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी 1 व 2 पर है। प्रस्तुत कथन कि वादिया लिखमा पुत्र रामदेव के जायंदा पुत्री थी या नहीं, का प्रश्न है। प्रथमतः तो उक्त कथन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण होता है, से अप्रासंगिक है। उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी का पुत्र अथवा पुत्री है या नहीं, यह तय करने के लिए सिविल कोर्ट (Civil Court) में मुकदमा दायर किया जाता है। इस तरह के मामलों को "उत्तराधिकार (Succession) या संपत्ति विवाद" (Property Dispute) के रूप में माना जाता है, और अदालत सबूतों की जांच करके यह निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का कानूनी पुत्र है या नहीं जिसका उल्लेख तनकी संख्या 1 में भी किया जा चुका है। तथा तनकी संख्या 2 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। फलस्वरूप उक्त अनुतोष इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। अतः तनकी 2 अप्रासांगिक निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर नं. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत का नामान्तकरण जो तस्दीक हुआ है वह कानूनी सही है। वादिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। ––

...प्रतिवादी संख्या 1 व 2

तनकी संख्या 3 को सावित करने का भार प्रतिवादी 1 व 2 पर है। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गवाह झूंथा पुत्र स्व. श्री धन्ना (DW1), गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री लादूराम यादव (DW2), तेजपाल पुत्र स्व. श्री श्यामलाल (DW3) परीक्षित करवाये है। (प्रदर्श–1) नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 04.07.1963 के कॉलम नम्बर 16 में अंकित किया है कि *"श्रीमान जी से निवेदन है कि लिखमा फोत हो चुका है अतः इसके वारिस झूथा के नाम नामान्तकरण भर कर सेवामें वास्ते मंजूरी पेश है उक्त अनुसार लिखमा पुत्र रामदेव अहीर फोत हो चुका है उसक उत्तराधिकारी झूथा है वही उस जमीन पर काबिज है व काश्त करता है अतः नामान्तकरण स्वीकार किया गया।"* उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा झूथाराम को लिखमा का विधिक वारिस मानकर खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 04.07.1963 को तस्दीक किया गया था ऐसा नहीं हो सकता है कि वाद दायरी के लगभग 43 सालो तक उक्त नामान्तकरण की जानकारी वादीया को नही रही हो। वादिया द्वारा उक्त नामान्तकरण को किसी सक्षम न्यायालय में चूनोती भी नही दी है। जोकि सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा। यह सिद्धांत न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वादीया तनकी संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने में असमर्थ रही हैं एवं तनकी 1 का निर्णय वादीया के विरूद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 का निर्णय अभिलेखीय साक्ष्य के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में किया जाना समुचित है। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय

तनकी संख्या 1 वादीया के विरूद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तदनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 95/2008

वाद प्रस्तुति दिनांक –30.07.2008

श्रीमती माली देवी पत्नी झांझूराम पुत्री स्व. श्री लखमा जाति अहीर निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........वादीनी

बनाम

1. झुंथा पुत्र स्व. श्री धन्ना तथाकथित पुत्र लखमा जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. काना पुत्र स्व. श्री धन्ना जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम खन्नीपुरा (यादवखेडा) तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती दाखा देवी उर्फ रामा पत्नी कान्हाराम पूर्व पत्नी स्व. श्री लखमा जाति अहीर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)

3/1. लादूराम पुत्र स्व. कानाराम
3/2 सीताराम पुत्र स्व. कानाराम
3/3 हरसहाय पुत्र स्व. कानाराम
जाति अहीर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. उपपंजीयक तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25.06.2025

तनकी संख्या 1 वादीया के विरूद्व निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.06.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ––––
ओहदा ––––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प [illegible]	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प [illegible]लतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			[illegible]ताना वकील		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फीस कमिश्नर			फीस [illegible]		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय [illegible]मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर